

संख्या- 433 /पंद्रह-1-2025-1936987

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा०),
उ०प्र०, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक ०९ अप्रैल, 2026

विषय:-राजभवन (जनभवन) उ०प्र० परिसर में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक की शिक्षा हेतु स्थापित/संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजभवन (जनभवन), लखनऊ को कक्षा-10 तक उच्चीकृत करने हेतु नवीन पद सृजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त आपके पत्र संख्या-माध्यमिक/287/2025-26, दिनांक 04-11-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, राजभवन (जनभवन), उ०प्र० परिसर में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक की शिक्षा हेतु स्थापित/संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजभवन (जनभवन), लखनऊ को कक्षा-10 तक उच्चीकृत करने हेतु नवीन पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का स्रोत
1	प्रधानाध्यापक	01	लेबल-10 (ग्रेड पे-5400) (पी०बी०-3) (56100-177500)	स्नातक वेतन क्रम एवं प्रवक्ता वेतन क्रम के अर्ह योग्यता के समस्त अध्यापक इस पद हेतु अर्ह होते हैं।	सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत के अनुपात में मौलिक रूप से नियुक्त पुरुष शाखा के (एक) प्रवक्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और (दो) सहायक अध्यापकों (एल०टी० ग्रेड) में से जिन्होंने, भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।
2	सहायक अध्यापक	07	लेबल-7 (ग्रेड पे 4600) (पी०बी०-2) (44900-142400)	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी), सेवा नियमावली -1993 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी), सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 में निहित प्राविधानानुसार	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2024 एवं अन्य संगत नियमावतियों में विहित व्यवस्था के अनुरूप हों।

				प्रत्येक विषय के सहायक अध्यापक का अलग-अलग शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी है।	
3	कनिष्ठ सहायक	01	लेबल-3 (ग्रेड पे- (2000) (पी०बी०-1) (21700-69100)	इण्टरमीडिएट, सी0सी0सी0(डोयक) हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट।	उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप।

2- उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शर्तें:-

- सृजित किये जाने वाले प्रधानाध्यापक के पद की शैक्षिक अर्हता, पदनाम, वेतनमान, भर्ती का स्रोत तथा भर्ती की विधि आदि प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में निर्गत संगत सेवा नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुरूप किया जाय।
- सृजित किये जाने वाले सहायक अध्यापक के पद की शैक्षिक अर्हता, पदनाम, वेतनमान, भर्ती का स्रोत तथा भर्ती की विधि आदि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2024 एवं अन्य संगत नियमावलियों में विहित व्यवस्था के अनुरूप किया जाय।
- सृजित किये जाने वाले कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक अर्हता, पदनाम, वेतनमान, भर्ती का स्रोत तथा भर्ती की विधि आदि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 एवं अन्य संगत नियमावलियों में विहित व्यवस्था के अनुरूप किया जाय।
- सृजित किये जाने वाले सहायक अध्यापक के 07 पदों के विषयों का निर्धारण शिक्षा निदेशक(मा0) के पत्रांक-माध्यमिक/716/2025-26, दिनांक 01-04-2026 के प्रस्तर-1(i)3 में अंकित पद सृजन के सापेक्ष विषयवार/कार्यवार शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत विवरण पत्रिका अध्याय-13 के अनुसार अनिवार्य विषय (06 पद) तथा वैकल्पिक विषय (01 पद) के अनुसार किया जाय।

- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-3-X-2026-27 दिनांक 09 अप्रैल 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
KRISHNA KUMAR GUPTA
Date: 09-04-2026
15:31:42

भवदीय

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षक, प्रथम् उ०प्र०, प्रयागराज।
- मण्डलायुक्त, लखनऊ।

- 3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 4- अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5- वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
- 6- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 7- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 8- कोषाधिकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 9- माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2/3
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।